न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 6/2021 दायरा दिनांक : 02.02.2021

उनवान

मोहनलाल मुतबन्ना नन्दानाथ जी, जाति नाथ, निवासी ग्राम मेरमा तालाब, तहसील अटरू, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— स्वर्गीय गोपालदास पुत्र रतनदास, जाति बैरागी, निवासी ग्राम सींदनी, तहसील अटरू, जिला बारां मृतक जरिये कायम मुकामान —

1/1— स्वर्गीय मुकुट बिहारी आत्मज स्वर्गीय गोपाल जी, जाति बैरागी, निवासी ग्राम सींदनी पोस्ट ऑफिस हानीहेडा, पिन कोट 325819 तहसील अटरू, जिला बारां जरिये कायम मुकामान—

1/1/1— दिनेश वैष्णव आत्मज स्वर्गीय मुकुट बिहारी, जाति बैरागी, निवासी ग्राम सींदनी पोस्ट ऑफिस हानीहेडा, पिन कोट 325819 तहसील अटरू, जिला बारां

1/1/2— राकेश वैष्णव आत्मज स्वर्गीय मुकुट बिहारी, जाति बैरागी, निवासी ग्राम सींदनी पोस्ट ऑफिस हानीहेडा, पिन कोट 325819 तहसील अटरू, जिला बारां

1/1/3— गुड्डी बाई पुत्री स्वर्गीय मुकुट बिहारी, जाति बैरागी, निवासी ग्राम सींदनी पोस्ट ऑफिस हानीहेडा, पिन कोट 325819 तहसील अटरू, जिला बारां

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

1/1/4– श्रीमती शांतिबाई पत्नी स्वर्गीय मुकुट बिहारी, जाति बैरागी, निवासी ग्राम सींदनी पोस्ट ऑफिस हानीहेडा, पिन कोट 325819 तहसील अटरू, जिला बारां

2– श्योजी आत्मज स्वर्गीय गोपाल जी

3– रामबाबू आत्मज स्वर्गीय गोपाल जी

4– रामावतार आत्मज स्वर्गीय गोपाल जी

जाति बैरागी, निवासी ग्राम सींदनी पोस्ट ऑफिस हानीहेडा, पिन कोट 325819 तहसील अटरू, जिला बारां

5– शांति बाई पुत्री स्वर्गीय गोपाल जी, जाति बैरागी, निवासी ग्राम सींदनी पोस्ट ऑफिस हानीहेडा, पिन कोट 325819 तहसील अटरू, जिला बारां

6– यशोदा बाई पुत्री, स्वर्गीय गोपाल जी, जाति बैरागी, निवासी ग्राम सींदनी पोस्ट ऑफिस हानीहेडा, पिन कोट 325819 तहसील अटरू, जिला बारां

7– तुलसा बाई पुत्री स्वर्गीय गोपाल जी, जाति बैरागी, निवासी ग्राम सींदनी पोस्ट ऑफिस हानीहेडा, पिन कोट 325819 तहसील अटरू, जिला बारां

8– राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक कोटा

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री एन.के.गुप्ता अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 27.09.2022**

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू. प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अटरू के प्रकरण संख्या – 18/2007 निर्णय दिनांक 21.01.2021 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर एक प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 व्यवहार प्रकिया संहिता पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम सीदनी, तहसील अटरू, जिला बारां की खाता संख्या 48 की खसरा नम्बर 128 रकबा 2.85 हेक्टर दर्ज खाता चली आ रही है। उक्त आराजी पूर्व में नन्दानाथ के खाते दर्ज चली आ रही थी, जिसकी मृत्यु के पश्चात् इन्तकाल नं. 74 से उक्त आराजी वादी के खातेदारी में दर्ज हो चुकी है। प्रतिवादी कम 1 गोपाल ने उक्त आराजी पर दिनांक 05.07.2004 को जबरन कब्जा कर लिया, जब वादी अपनी खातेदारी की भूमि पर हांकने गया तो प्रतिवादी कम 1 ने जबरन दादागिरी के बल पर आराजी हांक कर कब्जा कर लिया तथा मना करने पर लड़ाई–झगड़ा करने पर आमादा हो गया । प्रतिवादी कम 2 के अधीनस्थ कर्मचारीगण ने बिना किसी कानूनी अधिकार के गैर कानूनी तरीके से प्रतिवादी कम 1 का नाम राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में नामान्तकरण सं. 79 से उपकृषक के रूप में दर्ज कर दिया, जिसे वादी दुरूस्त करवा कर प्रतिवादी कम 1 का नाम उपकृषक के रूप से राजस्व रेकार्ड से पृथक कराने का अधिकारी है। वादी ने एक वाद पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय में धारा 188 आर.टी.ए. के तहत पेश किया था लेकिन दौराने दावा प्रतिवादी कम 1 द्वारा आराजी पर जबरन कब्जा कर लेने से यह बेदखली बाबत वाद पुनः पेश किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 व्यवहार प्रकिया संहिता खारिज कर दी, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की। अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ

रेकार्डकर्ता
कोटा
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू. प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

न्यायालय ने कानून, न्याय एवं तथ्यों के विपरीत निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत बाज दायरी प्रार्थना पत्र (रेस्टोरेशन एप्लीकेशन) अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 व्यवहार प्रकिया संहिता खारिज की है। अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि वादी अपीलांट के वकील द्वारा वादी अपीलांट को शहादत हेतु स्वयं आने एवं साक्ष्य हेतु गवाहान लेकर आने बाबत सूचित नहीं किया गया था, इस कारण वादी अपीलांट स्वयं एवं गवाहान को लेकर अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वादी अपीलांट काश्तकारी में व्यस्त होने के कारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका था। दोनों कथन परस्पर विरोधी नहीं है, उक्त कथन के स्पष्टीकरण के उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाज दायरी, दावा पुनः नम्बर पर लेने का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाने में विधिक भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश सर्वथा गलत त्रुटिपूर्ण एवं मनमाना होने के कारण खारिज होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि दिनांक 21.12.2016, 30.12.2017, 08.05.2017, 10.07.2017 की तारीख मोहर पर दी गई थी इस प्रकार दिनांक 25.09.2017 की तारीख Adjourn hearing नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दावा वादी व वादी के अभिभाषक की अनुपस्थिति में साक्ष्य वादी के अभाव में प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया गया था । वादी अपीलांट द्वारा कानून द्वारा निर्धारित अवधि में बाज दायरी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था उक्त प्रार्थना पत्र कानूनन पोषणीय है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को वादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत बाज दायरी प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर दावा पुनः नम्बर पर लेकर वादी अपीलांट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर दावे का गुणावगुण पर निर्णय फरमाना चाहिए था। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अपील निरस्त की जावे ।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू. प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

वादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत बाज दायरी प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर दावा रेस्टोर फरमाया जाकर दावा पुनः नम्बर पर लेकर वादी अपीलांट को शहादत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर वादी अपीलांट की शहादत ली जाकर वाद में अग्रिम कार्यवाही किये जाने का आदेश फरमावे ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध आर्डरशीट के अवलोकन से जाहिर होता है कि साक्ष्य हेतु वादी को अन्तिम अवसर दिये जाने के बाद भी अधिक अवसर दे दिऐ हैं इसके उपरान्त भी वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की। अतः हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं । वादी अपने वाद पत्र के साथ ही अन्तिम बहस के समय भी अपना पक्ष प्रस्तुत कर राहत प्राप्त कर सकते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.01.2021 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

27/9/2022

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू. प्रबन्ध अधिकारी, कोटा